संख्या-06/2024/I/524499/004-38-4002-003-1-2021

प्रेषक,

उमाकान्त सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 19 मार्च, 2024

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा हडको से लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-119/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0 (मूलधन एवं ब्याज)/2023-24, दिनांक 26 फरवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद के माध्यम से हडको से लिये गये ऋण के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 के चतुर्थ त्रैमास (दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 तक) हेतु देय ब्याज एवं मूलधन की अदायगी हेतु क्रमशः रूपये 3618.88353 लाख एवं रूपये 5058.87200 लाख वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक प्राविधान से निर्धारित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है, ताकि ब्याज एवं मूलधन का भुगतान हडको को समयान्तर्गत किया जा सके।

2- अतः आपके उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वित्त पोषण हेतु उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद के माध्यम से हडको से लिये गये ऋण के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 के चतुर्थ त्रैमास (दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 तक) में हडको को देय ब्याज एवं मूलधन की अदायगी हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित ब्याज एवं मूलधन की धनराशि में सें क्रमशः ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 3618.88353 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ अठ्ठारह लाख अठ्ठासी हजार तीन सौ तिरपन मात्र) एवं मूलधन के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 5058.87200 लाख(रूपये पचास करोड़ अठ्ठावन लाख सत्तासी हजार दो सौ मात्र), कुल धनराशि रूपये 8677.75553 लाख (रूपये छियासी करोड़ सतहत्तर लाख पचहत्तर हजार पांच सौ तिरपन मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) उपरोक्त धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वित्त पोषण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1469/38-4-17-49(विविध)/2017, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 में विहित प्राविधानों के अधीन योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से प्राप्त ऋण की धनराशि के सापेक्ष मूलधन एवं ब्याज के भुगतान में व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) भुगतान की गयी धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(3) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(4) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उपरोक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात ही किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि को आहरित कर बैंक, पी0एल0ए0 या डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(7) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जायेगा।

(8) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(9) हडको को मूलधन एवं ब्याज की धनराशि निर्धारित तिथि तक प्रत्येक दशा में भुगतान करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(10) देय मूलधन एवं ब्याज के आगणन की शुद्धता, धनराशि के भुगतान के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

(11) प्रत्येक त्रैमास में मूलधन एवं ब्याज की धनराशि के भुगतानोपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 हडको से भुगतान प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त की प्रति वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को भी प्रेषित की जायेगी।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- ब्याज का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-02-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर ब्याज की अदायगी-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" एवं मूलधन का भुगतान लेखाशीर्षक "2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आवास योजना (ग्रामीण) हेतु हडको से लिए गये ऋण के मूलधन का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' नामे डाला जायेगा।

4- उल्लेखनीय है कि हडको से लिये गये ऋण के सापेक्ष मूलधन एवं ब्याज की अदायगी वचनबद्ध व्यय है। अतः ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्येक त्रैमास में हडको को देय मूलधन एवं ब्याज की धनराशि के भुगतान हेतु मांग पत्र सीधे आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को प्रेषित किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कराया जायेगा कि हडको ऋण के देय मूलधन एवं ब्याज का भुगतान हडको को प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाय।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-2-296/दस-2023-24, दिनांक 07 मार्च, 2024 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
उमाकान्त सिंह,
अनु सचिव।

संख्या-06/2024/।/524499(1), तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान परिसर, बख्शी का तालाब, लखनऊ।
(4) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(5) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(6) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
(10) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(11) श्री राजेन्द्र राम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) क्षेत्रीय प्रमुख हडको, पिकप भवन, लखनऊ।
(13) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
उमाकान्त सिंह,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in